**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 443**

**जिसका उत्तर मंगलवार, 18 जुलाई, 2017 को दिया जाएगा**

**भारतीय मानक ब्यूरो (बी॰आई॰एस॰) को निदेश**

**443. डॉ॰ उदित राजः**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा बी॰आई॰एस॰ को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 नवंबर, 2015 की तिथि वाले आदेश सं॰ 4/2/2015-बीआईएस के माध्यम से जारी किए गए निदेशों या आदेशों का बी॰आई॰एस॰ द्वारा अनुपालन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बी॰आई॰एस॰ के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बी॰आई॰एस॰ अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बी॰आई॰एस॰ को निदेश जारी करने का अधिकार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बी॰आई॰एस॰ सरकार के निदेशों का अनुपालन नहीं करके बी॰आई॰एस॰ अधिनियम, 1986 और संसद के निर्णयों/संकल्पों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्री सी. आर. चौधरी)**

(क) से (घ): केन्द्र सरकार को, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 24 (2) के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो को निदेश देने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा दिनांक 13 नवंबर, 2015 के ज्ञापन के तहत किए गए स्थानांतरणों को रद्द करने के संबंध में

महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो को दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को दिशानिर्देश जारी किया गया और महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो को बी.आई.एस. की नियुक्ति नीति में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करने तथा स्थानांतरण के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरणों को नीति के अनुसार प्रभावी करने का निदेश दिया गया। बी.आई.एस. को अनुवर्ती अनुस्मारक भी जारी किए गए।

स्थानांतरित किए गए अधिकांश अधिकारियों ने दिनांक 16 नवंबर, 2015 तक तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। तथापि, कुछ अधिकारियों ने रिट याचिकाएं दायर कीं जो वर्तमान में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

*****